न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 36/2021(2021/128)
लालाराम पुत्र कालू कहार निवासी मेहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 23.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प मेंहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त वादवर्णित आराजीयात वाके **ग्राम मेहरूकंला** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
995–928	3891/3667	0.15	बीड
	4136/3667	0.01	गै.मु.चाह
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.16 है.	

उक्त प्रार्थना पत्रच में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। जिसके कारण विवादहोने की आंशका है। इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र करना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम मेहरूकला की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 995–928 खसरा नम्बर 3891/3667 रकबा 0.15 है. बीड , खसरा नम्बर 4136/3667 रकबा 0.01 है. गै.मु.चाह कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है. की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को केम्प मेहरूकंला मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner